संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/ओआरडी/विविध/90/06/2026 17 जून 2026
Ref No: IRDAI/GA&HR/ORD/MISC/90/06/2026 17th June, 2026

कार्यालय आदेश
Office Order

संदर्भः बीमा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धि (एआई) अभिशासन संबंधी कार्य दल
Ref: Working Group on Artificial Intelligence (AI) Governance in the Insurance Sector

1. हाल ही में, उभरती प्रौद्योगिकियों में तेजी से उन्नति के उदाहरण, जैसे कृत्रिम बुद्धि (एआई) साइबर सुरक्षा आशंकाओं के परिदृश्य को नया आकार देने के लिए प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि इन प्रौद्योगिकियों का बीमा क्षेत्र के अंदर अंगीकरण बढ़ रहा है और इस कारण से ये विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकती हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करने तथा पालिसीधारकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उद्योग पर्याप्त रूप से तैयार है, बीमा पारिस्थितिकी तंत्र (ईकोसिस्टम) पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वे भी नैतिक, परिचालनगत और साइबर सुरक्षा जोखिमों के नये आयाम प्रस्तुत कर सकती हैं।

तदनुसार, एआई प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण, अभिशासन, और निगरानी पर बीमा क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं का मार्गदर्शन करने के लिए एआई संबंधी समर्पित कार्य दल गठित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। उक्त कार्य दल यह सुनिश्चित करने के लिए अभिशासन ढाँचों, सर्वोत्तम प्रथाओं और रक्षोपायों के संबंध में दिशानिर्देश उपलब्ध कराएँगे कि बीमा क्षेत्र में नवोन्मेषण का अनुसरण ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए जो न केवल उचित, पारदर्शी और आघात-सहनीय हो, अपितु यह भी सुनिश्चित करे कि पालिसीधारकों के डेटा को हर समय सुरक्षित रखा जाए।

कृत्रिम बुद्धि संबंधी कार्य दल (डब्ल्यूजी-एआई):

2. उक्त कार्य दल (डब्ल्यूजी-एआई) निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठित किया गया हैः

I.	प्रो. संदीप के. शुक्ला, निदेशक, आईआईआईटी, हैदराबाद	अध्यक्ष
II.	श्री नंदकुमार सरवडे, भूतपूर्व सीईओ, आरईबीआईटी	सदस्य
III.	श्री आशुतोष बहुगुणा, वैज्ञानिक, सर्ट-इन	सदस्य
IV.	श्री मनोज नायक, सीआईएसओ, एसबीआई जीवन बीमाकर्ता	सदस्य
V.	श्री शिवनाथ सोमनाथन, सीआईएसओ, स्टार स्वास्थ्य बीमाकर्ता	सदस्य
VI.	श्री स्टीव डीसूज़ा, सीआरओ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमाकर्ता	सदस्य
VII.	श्री दीपक गायकवाड, महाप्रबंधक और सीआईएसओ, आईआरडीएआई	सदस्य संयोजक

3. एआई संबंधी उक्त कार्य दल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :

I. एआई की संभावित चुनौतियों और जोखिमों सहित, समग्र रूप में बीमा क्षेत्र पर एआई के प्रभाव का अध्ययन करना तथा बीमाकर्ताओं, पालिसीधारकों और अधिक विस्तृत बीमा पारिस्थितिक तंत्र (ईकोसिस्टम) के लिए उसके निहितार्थों का निर्धारण करना;

II. बीमा क्षेत्र में एआई अभिशासन के अंगीकरण/उपयोग, परिपक्वता, और अभिनियोजन और उसके वर्तमान स्तर का निर्धारण करना;

III. बीमा क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं के द्वारा प्रयुक्त एआई प्रणालियों की वस्तु सूची (इन्वेंटरी) का संरचनात्मक निर्धारण संचालित करना;

IV. बीमा क्षेत्र पर फोकस सहित, एआई संबंधी वैश्विक विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोणों की समीक्षा करना, यह समझना कि एआई संबंधी जोखिमों का समाधान कैसे किया जाता है;

V. दावों, धोखाधड़ी निवारण, आदि सहित, बीमा क्षेत्र में एआई उपकरणों या माडलों के नैतिक, पारदर्शी और स्पष्टीकरणयोग्य एआई अभिशासन ढाँचा सुझाना;

VI. बीमा क्षेत्र पर सीमांत एआई उपकरणों के प्रभाव का निर्धारण करना तथा एआई प्रेरित स्वचालित आक्रमणों से जोखिमों का न्यूनीकरण करने के लिए उचित सुरक्षा नियंत्रण लागू करने के लिए एक ढाँचा सुझाना;

VII. एआई-संबंधी जोखिमों पर विशिष्ट फोकस सहित, बीमा उद्योग के लिए क्षेत्र-व्यापी दबाव परीक्षणों की आवश्यकता की जाँच करना, तैयारी और आघात-सहनीयता का निर्धारण करना, तथा बीमा क्षेत्र में संस्थाओं के लिए परिणामी अनुपालन की आवश्यकताओं के साथ, उपयुक्त मूल्यांकन, न्यूनीकरण और निगरानी के उपाय प्रस्तावित करना;

VIII. अभिनियोजन-पूर्व और अभिनियोजन के बाद की संपरीक्षण आवश्यकताओं का समाधान करनेवाला एआई संपरीक्षण ढाँचा सुझाना;

IX. कौशल के अंतरालों की पहचान करना और विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता-निर्माण की आवश्यकताओं की पहचान करना;

X. बीमा क्षेत्र में एआई से संबंधित कोई अन्य विषय और / या जो भी विषय आईआरडीएआई में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कार्य दल प्रभावी ढंग से अपने कार्यों का निर्वहण करने के लिए आवश्यकता के अनुसार बारंबारता से बैठक कर सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो विषय के अन्य विशेषज्ञ(ज्ञों) को आमंत्रित कर सकता है, तथा कार्य दल अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 3 महीने के अंदर सदस्य (वित्त व निवेश) को प्रस्तुत करेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

1. In the recent past, rapid advancements in emerging technologies such as Artificial Intelligence (AI) have begun to reshape cyber security threat landscape as these technologies find increasing adoption within the insurance sector and therefore may pose challenges for Regulated Entities (REs).

In order to ensure that the industry is adequately prepared to harness these technologies responsibly and safeguarding the interests of policyholders, it is essential to study their impact on insurance ecosystem as they also introduce new dimensions of ethical, operational, and cyber security risks.

Accordingly, a need is felt to constitute dedicated Working Groups on AI for guiding Regulated Entities in insurance sector on adoption, governance, and oversight of AI technologies. The said Working Group will provide direction on governance frameworks, best practices and safeguards to ensure that innovation in the insurance sector is pursued in a manner that is not only fair, transparent and resilient but also ensure that policyholders' data is protected at all time.

Working Group on Artificial Intelligence (WG-AI):

2. The WG-AI is constituted with following members:

I. Prof Sandeep K Shukla, Director, IIIT Hyderabad - Chairperson
II. Shri. Nandkumar Saravade, EX-CEO, ReBIT – Member
III. Shri. Ashutosh Bahuguna, Scientist, CERT-In – Member
IV. Shri. Manoj Nayak, CISO, SBI Life Insurer – Member
V. Shri. Shivanath Somanathan, CISO, Star Health Insurer – Member
VI. Shri. Steve Dsouza, CRO, ICICI Lombard Insurer – Member
VII. Shri. Deepak Gaikwad, GM & CISO, IRDAI – Member Convener

3. The terms of reference of the Working Group on AI are as under:

I. To study the impact of AI on the insurance sector as a whole including its potential challenges and risks and to assess the implications for insurers, policyholders and the broader insurance ecosystem;

II. To assess the adoption / usage, maturity, and deployment and existing level of AI Governance in the Insurance Sector;

III. To carry out the structural assessment of the inventory of AI systems used by regulated entities in the insurance sector;

IV. To review global regulatory and supervisory approaches on AI, with a focus on the Insurance sector, to understand how AI related risks are addressed;

V. To suggest AI Governance Framework for ethical, transparent and explainable adoption of AI tools or models in the Insurance Sector including for claims, fraud preventions, etc.;

VI. To assess the impact of frontier AI tools on the insurance sector and suggest a framework for implementing reasonable security controls to mitigate risks from AI driven automated attacks;

VII. To examine the need for sector-wide stress tests for the insurance industry, with a specific focus on AI-related risks, to assess preparedness and resilience, and to propose appropriate evaluation, mitigation, and monitoring measures, along with consequential compliance requirements for entities in insurance sector;

VIII. To suggest AI Audit Framework addressing pre-deployment and post-deployment audit requirements;

IX. Identify skill gaps and capacity-building needs for various stakeholders;

X. Any other matter related to AI in the Insurance sector and /or as may be prescribed by the Competent Authority at IRDAI.

The above Working Group shall meet as frequently as necessary to carry out its functions effectively and may invite other subject expert(s), if required, and shall submit its recommendations to the Member (F&I) within 3 months from date of constitution.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

हस्ताक्षरित / Sd/-

(जी आर सूर्या कुमार / G R Surya Kumar)

कार्यकारी निदेशक / Executive Director